न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 82/2021

1 गुडा देवी पत्नी शिशराम जाति अहीर निवासी सिवाड़ी की ढाणी तहसील फरूख नगर जिला गुड़गांव हरियाणा।

अपीलांट

बनाम

1 अमर सिंह पुत्र श्योदान जाति मीणा निवासी गढ़ला खुर्द तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 भूमि धारक तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ निर्णय दिनांक 08.09.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी गुडा देवी बनाम अमर सिंह मु.नं. 165/2018 प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री जुगल किशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः—20.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 165/2018 में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीया अपीलांट ने एक प्रार्थना अस्थयी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 236/91 वाके ग्राम गढला कलां का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थीया/अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में एक बेदखली का दावा पेश किया था कि वह भूमि खसरा नम्बर 236/91, 94, 96, 95, 269/95 की प्रार्थीया/अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। जिसको प्रार्थीया/अपीलान्ट ने तत्कालीन खातेदारों से जरिये विक्रय पत्र वर्ष 2014 में खरीदी थी तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 20.05.2014 को प्रार्थी के नाम खातेदारी प्राप्त हुई तक से प्रार्थीया उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 236/91 रकबा 0.40 हैक्टेयर को छोड़कर मौके पर कोई विवाद नहीं वादिया फरूखनगर हरियाणा की रहने वाली है। जिसने अपना खेत बंटाई पर दे रख है महिने दो महिने से सम्भालने के लिए आती है पिछे से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 236/91 रकबा 0.40 हैक्टेयर पर पिछे से पेड़ो की कटाई व फसल की कटाई कर लेता है उक्त भूमि से अनावेदक संख्या 1/रेस्पोडेन्ट का कोई सरोकार नहीं रहा है तथा भूमि खसरा नम्बर 236/91 अपीलान्ट ने सुनिता देवी उर्फ स्वर्णसिंह से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी थी तब से लेकर आज तक प्रार्थीया/अपीलान्ट का मौके पर रिकार्डेड काबिज काश्त है फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने की कानूनी भूल की है। किसी भी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्धारित करते समय न्यायालय को तीन बातों का गौर करना आवश्यकता होती है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति विचारण न्यायलाय ने निर्णय दिनाक 08.09.2021 में अपीलान्ट/प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला नहीं मानने की कानूनी भूल की है क्योकि अपीलान्ट भूमि खसरा नम्बर 236/91 रकबा 0.40 हैक्टेयर की खातेदार काश्तकार है जो पिछले 10 साल से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है उससे पहले इस भूमि पर सुनिता देवी पत्नी श्री स्वर्णसिंह काबिज काश्तकार थी जिसे अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था पत्रावली पर अनावेदक/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि से कोई संबंध या सरोकार नहीं है तथा अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा साल 2014 से लगातार काबिज रही है तथा रेस्पोडेन्ट ने इस वाद से पूर्व इस भूमि बाबत किसी भी न्यायालय में चाराजोही नहीं की है यह सारी बाते पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला नहीं मानने की कानूनी भूल की है तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बिना निर्णय दिनांक 08.09.2021 पारित किया है अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला बनता है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार का कानूनी रूप से स्टे प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। जबकि रेस्पोडेन्ट के पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर उक्त भूमि पर उसका प्रथम दृष्टया मामला बनता हो। इस प्रकार अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला बनता है अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला बनने से सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में ही होता है तथा अगर विवादित भूमि 236/91 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि वादिया/अपीलान्ट के नाम से खातेदारी दर्ज है अगर रेस्पोडेन्ट उस पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

कोई पुख्ता निर्माण कर लेता है तो अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्ट को ही होगी। क्योंकि वाद पत्र के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है। इस प्रकार अपीलान्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.09.2021 में अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला नहीं मानने की कानूनी भूल की है इस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.09.2021 खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने दावा अगर विवादित भूमि पर कोई पुख्ता निर्माण मौके पर कर लिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी बढेगी इसलिए दौराने दावा रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए विचारण न्यायालय को पाबन्द करना चाहिए था क्योंकि वाद पत्र के निस्तारण में काफी समय लगने की सम्भावना है इसलिए रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक था परन्तु विचारण न्यायालय ने इन सब बातों पर गौर किये बिना ही आदेश पारित करने की कानूनी भुल की है। इस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थीया अपीलांट का आवेदन इस आधार पर खारिज किया है कि विवादित भूमि पूर्व में हरिजन के नाम दर्ज थी। धारा 175 के अन्तर्गत इस भूमि को सिवायचक घोषित किया गया। तदुपरांत जाट जाति के व्यक्ति को आवंटन किया गया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि धारा 175 के अधीन राज्य सरकार में निहित होने पर भी पुनः आवंटन अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही किया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अपीलांट को विक्रेता के पक्ष में दर्ज रिकार्ड विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर